प्रेस विज्ञप्ति

03.10.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),पणजी क्षेत्रीय कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े भूमि घोटाले के मामले में चल रही जाँच के तहत,धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),2002 के प्रावधानों के तहत 01.10.2025 को शिवशंकर मायेकर को गिरफ्तार किया है। उन्हें 02.10.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए),मापुसा के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने आरोपी को 10.10.2025 (09 दिन) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा यशवंत सावंत और अन्य के खिलाफ आईपीसी,1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इन लोगों ने अंजुना के कम्युनिडाड को उनकी सर्वे संख्या 496/1-ए,अंजुना स्थित ज़मीन के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इन लोगों ने संबंधित अधिकारियों के सामने फर्जी और झूठे दस्तावेज़ पेश करके ज़मीन का म्यूटेशन अपने नाम करवा लिया और फिर ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे लोगों को बेच दिया,जिससे अतिरिक्त आपराधिक आय (पीओसी) अर्जित हुई।

ईडी की जाँच से पता चला है कि शिवशंकर मायेकर इस धोखाधड़ी के मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर गोवा में अवैध रूप से कई ज़मीनें हासिल की थीं। बाद में उसने इन संपत्तियों के कुछ हिस्से कई लोगों को बेच दिए और बिक्री से प्राप्त राशि,जो उसके दोस्तों/रिश्तेदारों के खातों में जमा थी,अंततः शिवशंकर मायेकर के खातों में जमा कर दी गई।

इससे पहले,09.09.2025 को,ईडी द्वारा की गई तलाशी कार्रवाई में शिवशंकर मयेरकर द्वारा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर गोवा के बर्देज़ तालुका के अंजुना और असगाओ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कई लाख वर्ग मीटर में फैली कई ज़मीनें बरामद हुई थीं। आरोपियों द्वारा अवैध रूप से हड़पी गई इन ज़मीनों का कुल बाजार मूल्य 1,200 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।
आगे की जाँच जारी है।